FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5

Cancelled

96

In the Hon'ble Board of Revenue Gwalior, Madhya Pradesh

Case No ………./2010 Revision — 722-III\10

श्री विवेक मिश्रा
द्वारा आज दि० 25-5-10 को प्रस्तुत।

अवर सचिव 25-5-10
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

25-5-10

Ramroop S/o Shri Sitaram Vaishnav, Bairagi Age-42 years, R/o Village Bagwaje Tehsil & District Sheopur (M.P.)

……….Petitioner

V/s

1. Ramprasad S/o Shri Nathya Khatik
2. Prem S/o Shri Nathya Khatik
3. Kaloo S/o Shri Prem Khatik
4. Mahavir S/o Shri Ram Prasad Khatik
5. Om S/o Shri Ram Prasad Khatik

All R/o Village Bagwaje Tehsil & District Sheopur (M.P.)

…….Respondents

First Revision Petition Under Section 50 of M.P. Land Revenue Code arising out of order dated 11-2-2010 passed by Additional Commissioner Chambal Division Morena (M.P.) in case No. 99/2008-09 Appeal wherein the appeal has been dismissed of the petitioner hence this petition.

3188

May it please this Hon'ble Court,

Most humbly and respectfully petitioner submits this revision petition as under:-

1. The petitioner is a permanent resident of village Bagwaje Tehsil & District Sheopur (M.P.) and he was appointed as a Pujari of the temple Shri Ramchandra ji and Shri Hanuman ji by the occaf department in that regard the resolution has been passed)

R 722 पी/10 (श्योपुर)

16-3-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 99/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-10 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। निगरानी ग्राह्य योग्य है अथवा नहीं ? आवेदक के अभिभाषक को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से स्थिति यह है कि कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 100/05-06 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 16-10-06 से निगरानीकर्ता को मंदिर श्री रामचन्द्र जी एंव श्री हनुमान जी ग्राम बगवाज के पुजारी पद से प्रथक किया है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,ग्वालियर ने आदेश दिनांक 11-2-10 से कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखा है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। प्रकरण में विचार यह किया जाना है कि पुजारी पद से आवेदक को हटाये जाने वाले आदेश एंव

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 722/तीन/10 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभि.के
	अपीलीय आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य है अथवा नहीं? मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एंव धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा जारी आदेश क्रमांक एफ 5-8/2010/ छः दिनांक 30.10.10 इस प्रकार है- "क्रमांक एफ 5-8/2010/छः - राज्य शासन व्दारा पुजारियों की नियुक्ति व अन्य अनुशासिक निगरानी प्रकरणों में संभागीय अयुक्त व्दारा पारित निर्णय के विरूद्ध शासन में प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई की कार्यवाही एंव सुनवाई उपरांत अंतिम आदेश जारी करने के अधिकार प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक एंव धर्मस्व विभाग को प्रत्यायोजित किये जाते हैं ।" उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 99/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-10 के विरूद्ध निगरानी श्रवण करने के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। अतः निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	